बिहार सरकार

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा

अल्पकालीन निविदा

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में विभिन्न विभागों में मशीन उपकरण/सामग्री/रसायन एवं स्टेशनरी आईटम इत्यादी के दर निर्धारण के लिए इच्छुक GST निबंधित प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकत्ताओं से मुहरबंद निविदा निम्नलिखित शर्तों के साथ आमंत्रित की जाती है।

निविदा में भाग लेनेवाले इच्छुक फर्म/निविदादाता एक मुहरबंद लिफाफे में दो अलग–अलग लिफाफा (तकनीकी एवं वित्तीय) रजिस्र्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक–30.07.2022 के संध्या 05:00 बजे तक प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुंरा, पिन 852128 के पते पर भेज सकते है।

निविदा की विवरणी एवं की शर्तेः–

निविदा दो प्रकार की होगी

(क) तकनिकी निविदा

(ख) वित्तिय निविदा

(क) तकनीकी निविदा (अनिवार्य):–

1. GST निबंधन प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
2. पैन नम्बर तथा अद्यतन वित्तीय वर्ष का आयकर चुकती प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
3. विविध कार्य से संबंधित निविदादाता को सेवाप्रदत (जिसमें लागू हो) से निबंधित होने के प्रमाणपत्र।
4. फर्म/कम्पनी प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम, पूरा पता,मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल अंकित होना चाहिए।
5. Notary Public द्वारा फॉर्म को काली सूची मे नहीं है अथवा काली सूची में डालने की प्रक्रिया में नहीं होने का अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना है।
6. अग्रधन के रूप में 100000/– (एक लाख रुपये मात्र) का राष्ट्रीकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा के पदनाम से
संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. वित्तीय निविदा में दर कर सहित एवं कर रहित देना है।
8. दर में किसी प्रकार का छूट अंकित न कर छूट सहित दर अंकित करें।
9. निविदादाता अपने तकनिकी निविदा में अपने प्रतिष्ठान से संबंधित आवश्यक कागजात यथा निबंधन/जी०एस०टी०/आयकर पैननंबर/आई०एस०ओ० प्रमाणपत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
10. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के वेबसाईट **www.jnktmchmadhepura.org** अथवा नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है तथा Website पर प्रकाशित सूची को डाउनलोडकर उसके क्रमानुसार निविदा किया जा सकता है।
11. विस्तृत जानकारी के लिए **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर देखा जा सकता है।

प्राचार्य
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

PR. No. 5224 (Health) 2022-23

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

अल्पकालीन निविदा

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा में विभिन्न विभागों में मशीन उपकरण/सामग्री/रसायन एवं स्टेशनरी आईटम इत्यादी के दर निर्धारण के लिए इच्छुक GST निबंधित प्रतिष्ठान एवं आपूर्तिकत्ताओं से मुहरबंद निविदा निम्नलिखित शर्तों के साथ आमंत्रित की जाती है।

निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक फर्म/निविदादाता एक मुहरबंद लिफाफे में दो अलग–अलग लिफाफा (तकनीकी एवं वित्तीय) रजिस्र्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक–30.07.2022 के संध्या 05:00 बजे तक प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुंरा, पिन 852128 के पते पर भेज सकते है।

निविदा की विवरणी एवं की शर्तें:–

निविदा दो प्रकार की होगी

(क) तकनिकी निविदा

(ख) वित्तिय निविदा

(क) तकनीकी निविदा (अनिवार्य):–

1. GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
2. पैन नम्बर तथा अद्यतन वित्तीय वर्ष का आयकर चुकती प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
3. विविध कार्य से संबंधित निविदादाता को सेवा प्रदत (जिसमें लागू हो) से निबंधित होने के प्रमाण पत्र।
4. फर्म/ कम्पनी प्रोपराईटर/पार्टनर का नाम, पूरा पता, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल अंकित होना चाहिए।
5. Notary Public द्वारा फॉर्म को काली सूची मे नहीं है अथवा काली सूची में डालने की प्रक्रिया में नहीं होने का अभिप्रमाणित शपथ पत्र संलग्न करना है।
6. अग्रधन के रूप में 100000/– (एक लाख रुपये मात्र) का राष्ट्रीकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मधेपुरा के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. वित्तीय निविदा में दर कर सहित एवं कर रहित देना है।
8. दर में किसी प्रकार का छूट अंकित न कर छूट सहित दर अंकित करें।
9. निविदादाता अपने तकनिकी निविदा में अपने प्रतिष्ठान से संबंधित आवश्यक कागजात यथा निबंधन/जी०एस०टी०/आयकर पैन नंबर/आई०एस०ओ० प्रमाणपत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।

अन्य शर्ते

12/07/22

PRINCIPAL
Jannayak Karpoori Thakur
Medical College & Hospital
Madhepura
12/07/2022

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

1. तकनीकी निविदा के तहत सामानो का तकनीकी विवरण ISI/ISO के द्वारा प्रमाण पत्र, पेन नंबर कार्ड, निबंधन प्रमाण पत्र, GST निबंधन प्रमाण पत्र स्व–अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदाताओं के निर्माता/अधिकृत विक्रेता एवं प्राधिकृत वितरक यदि है का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। जिन निविदादाताओं आपूर्तिकर्ता के मशीनों /सामानों का दर क्रय समिति के द्वारा स्वीकृत किया जाता है तो क्रयादेश निर्गत होने के उपरांत मशीनों/ सामानों के निश्चित अवधि तक के लिए सफल संचालन हेतु एकरानामा करना होगा।
2. निविदा खोलने की तिथि को निविदाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते है इसकी सुचना कॉलेज के सूचनापट एवं website पर देखी जा सकती है इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा बैठक में भाग नहीं लेने वाले निविदादाता के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा से संबधित किसी भी प्रकार की सूचना जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज के वेबसाईट **www.jnktmchmadhepura.org** अथवा नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है तथा Website पर प्रकाशित सूची को डाउनलोड कर उसके क्रमानुसार निविदा किया जा सकता है।
3. बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों या लघु उद्योग विभाग से निबंधित चालू इकाइयों उत्पादनरत को नियमानुसार प्राथमिक दी जाएगी बिहार में उद्योग इकाई के रूप में निबंधित फर्मो को सम्बंधित उद्योग पदाधिकारी से चालू इकाई/उत्पादनरत का प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसकी स्पष्ट स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा अन्यथा उनके निविदा को सामान्य निविदा समझा जायेगा।
4. स्वीकृत तकनीकी निविदा का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
5. विपत्रों का भुगतान सरकार द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर ही की जाएगी।
6. निविदादाता अपने वित्तीय निविदा में सामानों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे दोनों दर अंकित नहीं रहने पर निविदा रद्द समझी जाएगी।
7. निविदादाता निविदा में संलग्न करने वाले सभी अनुलग्नक को पृष्ठांकित करते हुए निश्चित रूप से स्व–हस्ताक्षरित करेंगे।
8. जिन आपूर्तिकर्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति करने में बाधा पहुंचाई जाएगी या समय पर आपूर्ति करने में वे विफल रहेंगे उनकी अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।
9. जिन आपूर्त्तिकर्ता द्वारा पूर्व में कार्य असंतोषप्रद रहा हो उनके द्वारा दूसरे फर्म एजेंसी के नाम से निविदा डालने पर भी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
10. विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने के आधार पर नियमित इनकम टैक्स विक्रय कर आदि कटौती करने के बाद किया जायेगा।
11. वित्तिय निविदा के सूची की **Excel** सॉफ्टकॉपी सी०डी० में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित GST के नियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
13. अद्योहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द अथवा अस्वीकृत कर सकता है साथ ही निविदा परिर्वतन कर सकते है।

12/07/22

PRINCIPAL
Jannayak Karpoori Thakur
Medical College & Hospital
Madhepura
12/07/2022

जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

14. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर पर मधेपुरा न्यायालय एवं राज्य स्तर पर पटना उच्च न्यायालय होगा।
15. वित्तीय निविदा में कोडेड दर क्रमानुसार देना अनिवार्य होगा, यदि किसी क्रमांक का दर नहीं दिया जाना है तो उस कॉलम को खाली रखा जाय।
16. निविदा कर्ता सामग्री की सूची के अनुसार एक ही समान के विभिन्न प्रकार दर्शाने हेतु समान के क्रमांक में A ,B, C कर अपना दर दे सकते है, लेकिन सूची क्रमांक नहीं बदल सकते है।

21/07/22

प्राचार्य
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा
महाविद्यालय एवं अस्पताल, मधेपुरा।

PRINCIPAL
Jannayak Karpoori Thakur
Medical College & Hospital
Madhepura

12/07/2022